

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-कोटा / एसीपी / 29277 / 2025 / दिनांक:-

-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में देय पे लेवल	देय पे लेवल
1.	प्रमोद कुमार मीणा नर्सिंग ऑफिसर	झालावाड	23.02.2012	23.02.2021 09 वर्ष	एल-11	एल-12

नोट:- 1. उक्त कर्मचारी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 28/03/2025

क्रमांक:-नर्सिंग / जोन-कोटा / एसीपी / 29277 / 2025 / 72
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन कोटा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण लगभग 4 वर्ष पश्चात भिजवाये जाने के क्या कारण रहे के संबंध में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टिकरण प्राप्त कर निदेशालय भिजवाये।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :28-03-2025 10:41:18